

Justification

जिला शहडोल के अन्तर्गत सारना से बिशनपुरवा मार्ग के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित मार्ग मुख्य मंत्री म.प्र. की घोषणा के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत है। मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामों की जनता को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला यह एकमात्र मार्ग है। उक्त मार्ग का निर्माण हो जाने पर यहां रहने वाले ग्रामवासियों को आने-जाने में सुविधा होगी एवं दुर्घटनाओं में कमी होगी तथा ग्रामवासियों का आवागमन सुगम हो सकेगा।



कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
शहडोल संभाग, शहडोल (म0प्र0)